जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना नूरपुर दिनॉक 17.07.2025

थाना नूरपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 240/25 धारा 87 बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 17.07.2025 को वादी ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त जुनैद पुत्र जुबैर निवासी दबोई खुर्द थाना असमोली जनपद सम्भल के द्वारा वादी की पुत्री को बहला–फुसलाकर शादी करने का झांसा देकर अपने साथ ले गया। इस संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 240/25 धारा 87 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा अभियोग से संबंधित अपहर्ता को बरामद किया गया।

कार्यवाही–

आज दिनांक 17.07.2025 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त जुनैद पुत्र जुबैर निवासी दबोई खुर्द थाना असमोली जनपद सम्भल को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. जुनैद पुत्र जुबैर निवासी दबोई खुर्द थाना असमोली जनपद सम्भल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.उ0नि0 शिवा नैन थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
2.आरक्षी 2035 असलम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
3.महिला आरक्षी 366 लता थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर दिनांकः- 17.07.2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना नजीबाबाद पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 60,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

अवगत कराना है कि दिनांक 24.11.2022 को वादी ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि अभियुक्त अरमान पुत्र नसीम निवासी ग्राम जसवन्तपुर लुकादडी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर, वादी की नाबालिग बेटी को बहलाफुसलाकर ले गया है। इस संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 600/22 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया । विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 17.07.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे पॉक्सो एक्ट जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 600/2022 धारा 363/376 भादवि व 04 पॉक्सो अधिनियम के आरोपी अभियुक्त अरमान उपरोक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 60,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

1- अरमान पुत्र नसीम निवासी ग्राम जसवन्तपुर लुकादडी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।

प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर   दिनांकः- 17.07.2025

डिजिटल अरेस्ट व साइबर ठगी से बचाव हेतु जनपद में विशेष साइबर जागरूकता अभियान के संबंध में।

जनपद में *डिजिटल अरेस्ट* एवं *साइबर ठगी* जैसी घटनाओं की रोकथाम तथा आमजन को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु **विशेष साइबर जागरूकता अभियान** संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों को डिजिटल माध्यमों से हो रहे अपराधों जैसे फर्जी कॉल, लिंक शेयरिंग, ओटीपी/पिन ठगी, डिजिटल अरेस्ट आदि से बचाव हेतु सतर्क एवं सजग बनाना है।

उपरोक्त अभियान के क्रम में जनपद बिजनौर के समस्त थानों द्वारा थाना क्षेत्रों में स्कूल/कॉलेजों, नगर पालिकाओं/ग्राम सभाओ व सार्वजनिक स्थान जैसे बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन आदि पर जाकर परस्पर संवाद, पोस्टर, स्लोगन इत्यादि जैसे रचनात्मक सेशन आयोजित कर अधिक से अधिक व्यक्तियों को साइबर अपराध (डिजिटल अरेस्ट व साइबर ठगी) के प्रति जागरूक किया जा रहा है तथा साइबर फ्रॉड का शिकार होने पर साइबर क्राइम हेल्प लाइन नं0 1930 व वेबसाइट www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारी दी जा रही है।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना धामपुर **दिनांक – 17.07.2025**

थाना धामपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 269/2025 धारा 3(5)/109(1)/121(2)/352/132 बीएनएस से सम्बंधित अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त गाडी सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 15.07.2025 को समय करीब 16.00 बजे थाना धामपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना धामपुर क्षेत्रान्तर्गत स्योहारा रोड पर स्विफ्ट कार सवार कुछ व्यक्ति टेंपों चालक से पुलिस के नाम से अवैध वसूली कर रहे है।

सूचना पर सब सेक्टर ड्यूटी पर तैनात मुख्य आरक्षी प्रदीप कुमार तत्काल मौके पर पहुंचे तो स्विफ्ट कार सवार, कार को लेकर कस्बा स्योहारा की तरफ भागे। इसकी सूचना चौकी गौरा बादल को दी गयी तो चौकी गोरा बादल पर तैनात आरक्षी रविमान एवं होमगार्ड देवेन्द्र सिंह द्वारा बैरियर लगाकर गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया, किंतु कार चालक द्वारा बैरियर में टक्कर मारते हुये भाग गया। बैरियर का एक पहिया निकल कर होमगार्ड देवेन्द्र के पैर में लगा, जिससे वह घायल हो गया। स्थानीय पुलिस द्वारा होमगार्ड उपरोक्त को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस सम्बन्ध मे थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 269/2025 धारा 3(5)/109(1)/121(2)/352/132 बीएनएस मे पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 17.07.2025 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त साहिल पुत्र अकील अहमद निवासी मौ0 मिल्कियान हाजी वाली मस्जिद कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार UP14BX4099 सहित गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

साहिल पुत्र अकील अहमद नि0 मौ0 मिल्कियान हाजी वाली मस्जिद कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

बरामदगी –

घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार UP14BX4099

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. उ0नि0 श्री रवि तोमर थाना धामपुर जनपद बिजनौर
2. हे0का0 714 ज्ञानेन्द्र सिंह थाना धामपुर जनपद बिजनौर
3. का0 2228 सोनू राणा थाना धामपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना चांदपुर दिनॉक 17.07.2025

थाना चांदपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 401/25 धारा 137(2)/64 बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 15.07.2025 को वादिया ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त चेतन पुत्र शीशराम उर्फ शीशु निवासी ग्राम शाहपुर भसौली थाना चांदपुर जनपद बिजनौर, वादिनी की पुत्री को बहला फुसलाकर ले गया। इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 401/25 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अभियोग से संबंधित अपर्हता को बरामद किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 64 बीएनएस व 3/4 पॉक्सो अधि0 की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही–

आज दिनांक 17.07.2025 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त चेतन पुत्र शीशराम उर्फ शीशू निवासी ग्राम शाहपुर भसौडी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. चेतन पुत्र शीशराम उर्फ शीशू निवासी ग्राम शाहपुर भसौडी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.उ0नि0 सुभाष चन्द थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
2.आरक्षी 2341 सिराज थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
3.आरक्षी 1604 अमित कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।